कार्यालय, उप वन संरक्षक, टौंस वन प्रभाग, पुरोला (उत्तरकाशी)

E-mail-dfo_tons@yahoo.in.Phone/Fax-01373-223328

पत्रांक 155 / 12-1 दिनांक, पुरोला, 22-07-2015

सेवा में

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड,
पुरोला।

विषय :— कुनारा—पासा नहर का वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण (0.69है0) प्रस्ताव का प्रेषण।

सन्दर्भ :— आपका पत्रांक 1037 / सि0ख0पु0 / एल—1 दिनांक 04.07.2015।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से आपके द्वारा प्रेषित की गयी प्रस्ताव का अवलोकन करने पर निम्न आपत्तियाँ / कमियाँ पायी गयी —

1. परियोजना के सम्बन्ध में प्रतिवेदन, जिसमें परियोजना का औचित्य, परियोजना से प्राप्त होने वाले लाभ एवं परियोजना से सम्बन्धित मुख्य सूचनायें संलग्न की जॉय।
2. फैक्ट सीट के अन्तर्गत दर्शायी गयी सूचना हॉ / नहीं को क्रास न करते हुए ''हॉ'' अथवा ''नहीं'' को अलग से शब्दों में टंकित करते हुये निर्धारित कालम में दर्शाया जॉय।
3. भूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रकरणों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये गये प्रारूप—6 में सम्बन्धित विभागों द्वारा फील्ड में सम्पन्न किये गये प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट को दर्शाया जॉय।
4. प्रस्तावित स्थल का सर्वे ऑफ इण्डिया के 1:50,000 पैमाने के टोपोशीट पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये गये प्रारूप—8 के अनुसार प्रस्तावित परियोजना को लाल, परियोजना के आस—पास स्थित आरक्षित वन भूमि को हरे, सिविल एवं सोयम वन भूमि को पीले, पंचायत वन भूमि को नीले एवं नाप भूमि को किसी अन्य रंग से दर्शाया जॉय।
5. भूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रकरणों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये गये प्रारूप—9 के अनुसार सर्वे ऑफ इण्डिया के 1:50,000 पैमाने के डिजिटल मानचित्र पर परियोजना को प्रदर्शित करते हुये प्रपत्र—8 की सूचनाओं को सम्मिलित कर जी0पी0एस0 रीडिंग अंकित की जॉय।
6. भूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रकरणों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये गये प्रारूप—10 के अनुसार गूगल मानचित्र (Kml file में) प्रस्तावित परियोजना को प्रदर्शित करते हुये प्रस्तावित समरेखण की जी0पी0एस0 रीडिंग अंकित की जॉय।
7. भूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रकरणों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये गये प्रारूप—11 के अनुसार प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि के मांग का पूर्ण औचित्य को दर्शाते हुये एक विस्तृत आख्या दी जॉय।
8. भूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रकरणों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये गये प्रारूप—12 के अनुसार गूगल मानचित्र (Kml file में) पर प्रस्तावित कार्य का विवरण तथा वैकल्पिक समरेखण / स्थल को जी0पी0एस0 रीडिंग के साथ दर्शाया जॉय।
9. भूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रकरणों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये गये प्रारूप—14 के अनुसार वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण पत्र दिया जॉय।
10. भूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रकरणों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये गये प्रारूप—15 के

क्रमशः पृष्ठ—2 पर

अनुसार प्रभावित (आरक्षित एवं नाप) भूमि का लैण्ड शैड्यूल निर्धारित प्रपत्र में दर्शाया जॉय।

11. भूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रकरणों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये गये प्रारूप–16 के अनुसार परियोजना की लम्बाई–चौड़ाई का विवरण अंकित किया जॉय।
12. भूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रकरणों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये गये प्रारूप–17 के अनुसार आरक्षित, सिविल एवं सोयम भूमि, वन पंचायत भूमि, संरक्षित भूमि एवं नाप भूमि हेतु निर्धारित किये गये रंगों का प्रयोग करते हुये बार चार्ट बनाया जॉय।
13. भूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रकरणों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये गये प्रारूप–18 के अनुसार कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण पत्र संलग्न किया जॉय।
14. भूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रकरणों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये गये प्रारूप–23 के अनुसार परियोजना में वृक्ष प्रभावित न होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न किया जॉय।
15. भूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रकरणों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये गये प्रारूप–30.3 के अनुसार वन अधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न किया जॉय।
16. भूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रकरणों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये गये प्रारूप–38 के अनुसार वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण पत्र संलग्न किया जॉय।
17. भूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रकरणों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये गये प्रारूप–44 के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 1:50,000 पैमाने का टोपोशीट का मानचित्र जिसमें जी0पी0एस0 रीडिंग सहित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो संलग्न किया जॉय।
18. भूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रकरणों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये गये प्रारूप–45 के अनुसार रंगीन गूगल मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो संलग्न किया जॉय।
19. भूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रकरणों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये गये प्रारूप–52 के अनुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि का आर0सी0सी0 पिलरों द्वारा सीमांकन किये जाने का प्राक्कलन संलग्न किया जॉय।
20. भूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रकरणों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये गये प्रारूप–52(क) के अनुसार आर0सी0सी0 पिलरों के व्यय के वहन करने हेतु प्रमाण पत्र संलग्न किया जॉय।
21. भूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रकरणों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये गये प्रारूप–54 के अनुसार वन संरक्षण अधिनियम–1980 के उल्लंघन न होने का प्रमाण पत्र संलग्न किया जॉय।

यहाँ उल्लेखनीय है कि उपरोक्त आपत्तियाँ/कमियाँ दृष्टान्त स्वरूप है। अतः इस सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि वन भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा नवीनतम जारी किये गये चैक लिस्ट/निर्देशों का भली–भाँति पालन करते हुए उपरोक्त दर्शाये गये आपत्तियों/कमियों का निराकरण कर भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों/प्रारूपो के अनुरूप प्रस्ताव को संशोधित करते हुये की गयी कार्यवाही की हार्ड कॉपी इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुये प्रकरण को शीघ्र ऑनलाईन करने का कष्ट करें।

भवदीय

(संदीप कुमार)
उप वन संरक्षक,
टौन्स वन प्रभाग, पुरोला।